रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14102025-266935 CG-DL-E-14102025-266935

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4538]

No. 4538]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 14, 2025/आश्विन 22, 1947

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 14, 2025/ASVINA 22, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय) अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2025

सं. 42/2025-26

विषयः मांस एवं मांस उत्पादों की निर्यात नीति में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 4667(अ).—_समय-समय पर यथा संशोधित, विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पिठत विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 5 के साथ पिठत धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा आइटीसी (एचएस) 2022 के अध्याय -2, अनुसूची- II (निर्यात नीति) के अंतर्गत निर्यात नीतिगत शर्त 9 को निम्नानुसार शामिल करती है:

"एपीडा द्वारा संचालित मांस निर्यात विकास निधि (एमईडीएफ) में अंशदान का प्रमाण प्रस्तुत करने के अधीन शीतित/जमे हुए मांस के निर्यात की अनुमति दी जाएगी।"

2. उपर्युक्त प्रावधान का संदर्भ लें, अतिरिक्त निर्यात नीतिगत शर्त केवल निम्नलिखित आइटीसी (एचएस) कोड के सामने डाली गई है:

6872 GI/2025 (1)

एच एस कोड	माल का विवरण	अतिरिक्त निर्यात नीतिगत शर्त	
0201- गोजातीय पशुओं का मांस, ताजा और शीतित			
02013000	- हड्डी रहित	निर्यात इस अध्याय की नीतिगत शर्त 9 के अधीन भी होगा।	
0202- गोजातीय पशुओं का मांस, जमाया हुआ			
02023000	- हड्डी रहित	निर्यात इस अध्याय की नीतिगत शर्त 9 के अधीन भी होगा।	
0206- गोजातीय पशुओं का खाने योग्य ओफल, ताजा शीतित या जमा हुआ			
02061000	- गोजातीय पशुओं का, ताजा या शीतित		
02062100	- गोजातीय पशुओं की, जमी हुई:जीभें	निर्यात इस अध्याय की नीतिगत शर्त 9 के अधीन भी	
02062200	- गोजातीय पशुओं के, जमे हुए: यकृत	होगा।	
02062900	- गोजातीय पशुओं के, जमे हुए : अन्य		

3. निर्यातकों को कुछ पारवहन समय प्रदान करने के लिए, यह 29.10.2025 से लागू होगा।

इस अधिसूचना का प्रभाव: पैरा 2 में निर्दिष्ट शीतित और जमे हुए मांस उत्पादों के निर्यात को केवल एपीडा द्वारा संचालित मांस निर्यात विकास निधि (एमईडीएफ) में अंशदान जमा करने पर अनुमित दी जाएगी। यह अधिसूचना 29.10.2025 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 1/91/171/166/एएम21/ईसी/ई-24267]

अजय भादू, अपर सचिव एवं महानिदेशक विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2025

No. 42/2025-26

Subject: Amendment in Export Policy of Meat and Meat products -regarding

S.O. 4667(E).— In exercise of powers conferred under Section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act 1992, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby incorporates Export Policy Condition 9 under Chapter-2, Schedule-II (Export Policy) of ITC (HS) 2022, as follows:

"The export of chilled/frozen meat shall be permitted subject to submission of proof of submission of proof of remittance to the Meat Export Development Fund (MEDF), operated by APEDA."

2. Reference the above-mentioned provision, additional Export Policy Condition is inserted against the following ITC(HS) Codes only:

HS Code	Description of Goods	Additional Export Policy Condition		
0201- MEAT OF BOVINE ANIMALS, FRESH AND CHILLED				
02013000	-Boneless	Exports shall also be subject to Policy Condition 9 of this Chapter		
0202- MEA	T OF BOVINE ANIMALS, FROZEN	- 1		
02023000	-Boneless	Exports shall also be subject to Policy Condition 9 of this Chapter		
0206- EDIBLE OFFAL OF BOVINE ANIMALS, FRESH CHILLED OR FROZEN				
02061000	-Of bovine animals, fresh or chilled			
02062100	-Of bovine animals, frozen : Tongues	Exports shall also be subject to Policy Condition 9 of		
02062200	-Of bovine animals, frozen : Livers	this Chapter		
02062900	-Of bovine animals, frozen : Other			

3. To provide some transition time to the exporters, this shall come into effect from 29.10.2025.

Effect of this notification: Exports of chilled and frozen meat products specified in Paragraph 2 shall be permitted only upon remittance to the Meat Export Development Fund (MEDF) operated by APEDA. The Notification shall come into effect from 29.10.2025.

[F. No. 01/91/171/166/AM21/EC/e-24267]

AJAY BHADOO, Addl. Secy. and Director General of Foreign Trade